FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम–मण्ड़ावर (दौसा)

उनवान मुरारी बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार मंडावर

किस्म मुकदमा –नाम दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं......43 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS NO- 2023/144	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-08-23	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम हल्दैना में प्रार्थी मुरारीलाल पुत्र मौजी जाति माली निवासी करणबास पाखर ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी खातेदारी जमीन की जमाबंदी में मेरा नाम प्रभूदयाल पुत्र मौजी है जबकि मेरासमस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मुरारीलाल पुत्र मौजी है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रभूदयाल पुत्र मौजी के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र मौजी दुरुस्त किये जाने के हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र ताईद में दस्तावेजात शपथ–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा बैंक की पासबुक एवं वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश किये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का पाखर–2, भू0अ0नि0 मंडावर तहसीलदार मंडावर की संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। जिसके अनुसार ग्राम पाखर–2 में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 407, 156, 237 पर प्रभूदयाल पुत्र मौजी जाति माली सा. देह हि. मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ–पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा बैंक की पासबुक एवं वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड में मुरारीलाल पुत्र मौजी/मौज्याराम दर्ज है। मजमे आम से जांच की गई तो पाया गया की मुरारीलाल पुत्र मौजी एवं प्रभूदयाल पुत्र मौजी एक ही व्यक्ति के नाम है तथा ग्राम पाखर–2 में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 407,156, 237 पर प्रभूदयाल पुत्र मौजी जाति माली स्थान पर मुरारीलाल पुत्र मौजी दुरुस्त किये जाने की अभिषंशा की गई। पटवारी हल्का पाखर–2, भू0अ0नि0 मंडावर एवं तहसीलदार मंडावर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मजमे आम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया , प्राथी का शुद्ध नाम प्रभूदयाल के स्थान पर मुरारीलाल होना पाया गया। उपरोक्त विवेचरन के आधार पर ग्राम पाखर–2 में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 407, 156, 237 पर प्रभूदयाल पुत्र मौजी जाति माली अशुद्व नाम के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र मौजी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पाखर–2 में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 407, 156, 237 पर प्रभूदयाल पुत्र मौजी जाति माली के स्थान पर मुरारीलाल पुत्र मौजी दर्ज किया जावे। शेष इन्द्रजात/ जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मंडावर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर,, फैसल शुमार हकिम नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। (भावना शर्मा, RAS) उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर(दौसा) शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	